कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION HOSPITAL
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, **Govt. of India**)
प्लाट सं - 41, सेक्टर - 03,
Plot No. - 41, Sector - 03,
आई.एम.टी. मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा - 122050
I.M.T. Manesar, Gurugram, Haryana - 122050
दूरभाष/Tel: 0124-4618701
ई-मेल/Email: ms-manesar.hr@esic.nic.in

सत्यमेव जयते

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

सं.133-ए/13/01/2022.रा.भा.(विराकास) दिनांक: 29.08.2022

परिपत्र

विषय:- क.रा.बी.नि. अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (जुलाई-सितम्बर, 2022) का मसौदा कार्यवृत्त ।

चिकित्सा अधीक्षक महोदया डॉ. श्रुति विरमानी की अध्यक्षता में 22 अगस्त, 2022 को संपन्न क.रा.बी.नि. अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का मसौदा कार्यवृत्त आपके सादर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

संलग्नक: यथोपरि

(डॉ. निहारिका कपूर, विशेषज्ञ)
(रा.भा. प्रभारी)
सदस्य सचिव

सेवा में,

1. महानिदेशक (राजभाषा), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली को सादर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. अस्पताल की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई हेतु । (ई-मेल द्वारा)
3. सभी शाखाएं/चिकित्सा विभाग, क.रा.बी. निगम अस्पताल, मानेसर को आवश्यक कार्रवाई हेतु । (ई-मेल द्वारा)
4. अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, (रा.भा.का.का.), वाप्कोस लिमिटेड, 76-सी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुरुग्राम - 122015 को सादर सूचनार्थ ।
5. आई.टी. प्रबंधक, क.रा.बी.नि. अस्पताल, मानेसर को अस्पताल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

क०रा०बी०नि० अस्पताल
मानेसर - 122050
439/440 दिनांक 1/9/2022

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का मसौदा कार्यवृत्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही(जुलाई-सितम्बर, 2022) बैठक 22 अगस्त, 2022 को अपराह्न 02:30 बजे डॉ. श्रुति विरमानी, चिकित्सा अधीक्षक महोदया की अध्यक्षता में सम्मलेन कक्ष में आयोजित की गई ।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया डॉ. श्रुति विरमानी, चिकित्सा अधीक्षक ने नवनामित सदस्य सचिव डॉ. निहारिका कपूर, विशेषज्ञ एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया । अध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार बैठक की कार्रवाई आरंभ करते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि यह बैठक जुलाई-सितम्बर, 2022 तिमाही हेतु है । इस बैठक में जून, 2022 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी तथा गत बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर भी चर्चा की जाएगी । इसके उपरांत अध्यक्ष महोदया की अनुमति से कार्यसूची अनुसार मदवार चर्चा आरंभ की गई । सदस्य सचिव ने सभी सदस्यों को बताया कि हम सभी को राजभाषा से संबंधित सभी नियमों एवं आदेशों की अनिवार्य रूप से अनुपालना करनी है तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु एकजुट होकर सकारात्मक प्रयास भी करने है ।

मद सं. 1	पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सदस्य सचिव ने बताया कि पिछली बैठक का आयोजन 13 मई, 2022 को किया गया था। उक्त बैठक का मसौदा कार्यवृत्त विराकास के सभी सदस्यों एवं शाखाओं में अग्रिम कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया तथा सदस्यों से आपति और सुझाव मांगे गए थे । चूँकि किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । अत: अध्यक्ष महोदया यदि सहमत हो तो कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है । अध्यक्ष महोदया ने सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

मद सं. 2	पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा

सदस्य सचिव के निर्देशानुसार कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा करते हुए बताया कि पिछली बैठक जो कि 13 मई, 2022 को आयोजित की गई थी और कार्यवृत्त मुख्यालय सहित अन्य संबंधितों को प्रेषित कर दिया गया था । उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर निम्नानुसार कार्रवाई की गई:-

i. हिंदी पत्रिका आरोहण अंक-6 के प्रकाशन हेतु लेख आदि प्राप्त करने के लिए परिपत्र अनुस्मारक-1 जारी किया गया तथा कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से लेख आदि प्राप्त भी किए गए है।

ii. कार्यालय में 01 अवर श्रेणी लिपिक को हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए नामित कर उनका नामांकन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण भौतिक रूप से शुरू होने पर नामित किया जाएगा ।

iii. मूल पत्राचार एवं ईमेल के हिंदी प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए गए ।

iv. धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार के दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं ।

v. अस्पताल की पांच शाखाओं को मुख्यालय द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया ।

मद सं. 3	हिन्दी प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा

सदस्य सचिव के निर्देशानुसार कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए बताया कि यह सराहनीय है कि राजभाषा नियम 5 की अनुपालना सभी शाखाओं द्वारा पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जा रही है । गत तिमाही में हिंदी में कुल 571 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 254 पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए तथा 317 पत्रों का जवाब देना अपेक्षित नहीं था । आलोच्य तिमाही में **"क"** क्षेत्र को 84 प्रतिशत हिंदी में पत्राचार किया गया । इस पर अध्यक्ष महोदया ने कहा कि मार्च-2022 को समाप्त तिमाही में हिंदी पत्राचार 86 प्रतिशत था जबकि गत तिमाही में मूल हिंदी पत्राचार में गिरावट दर्ज हुई जो कि शुभ संकेत नहीं है तथा उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिनिधि कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान तिमाही में मूल हिंदी पत्राचार में अनिवार्य रूप से वृद्धि दर्ज होनी चाहिए । **"ख"** तथा **"ग"** क्षेत्र को शत प्रतिशत हिंदी में पत्राचार किया गया ।

विगत तिमाही में कुल 82 प्रतिशत टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी गई । इस पर चिकित्सा अधीक्षक महोदया ने कहा कि मार्च-2022 को समाप्त तिमाही की तुलना में हिंदी टिप्पणियों का प्रतिशत कम रहा तथा बैठक में उपस्थित कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि हिंदी टिप्पण शत-प्रतिशत होना चाहिए । इस पर दवा भंडार प्रभारी ने कहा कि दवा भंडार की फाइलों में सभी टिप्पणियां हिंदी में लिखना कठिन है । अंग्रेजी में कुल 678 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 402 पत्रों के उत्तर हिंदी में एवं 59 पत्रों का जवाब अंग्रेजी में दिया गया जबकि 217 पत्रों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं था । अध्यक्ष महोदया ने इस पर कहा कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का प्रयास करें ।

मद सं. 4	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन

सदस्य सचिव ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 14 प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी देते हुए कहा कि इन सभी 14 प्रकार के दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषिक रुप में जारी किया जाना चाहिए तथा ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि इसे द्विभाषिक रुप में तैयार किया गया तथा निष्पादित किया गया है । राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 170 दस्तावेज जारी किए गए तथा सभी द्विभाषी में जारी किए गए ।

मद सं. 5	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में चर्चा

वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि राजभाषा विभाग एवं मुख्यालय निर्देशानुसार दिनांक 18.04.2022 को वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 जारी किया गया । तदुपरांत सभी सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम की संक्षिप्त प्रति भी उपलब्ध करवाई गई तथा उन पर विस्तृत चर्चा भी गई । सदस्य सचिव ने कहा कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए राजभाषा संबंधी जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हमें उनकी प्राप्ति हेतु हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए । इस पर अध्यक्ष महोदया ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 के निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कार्य करें ।

मद सं. 6	निर्धारित जाँच बिंदुओं पर चर्चा

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि मुख्यालय द्वारा राजभाषा के प्रयोग हेतु अलग-अलग मदों पर जाँच बिंदु तैयार किए गए है । दिनांक 18.04.2022 को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित जाँच बिंदुओं को जारी किया गया । साथ ही सभी सदस्यों को जाँच-बिंदुओं की प्रति भी उपलब्ध करवाई गई तथा उन पर विस्तृत चर्चा भी गई । इस पर अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों को निदेश दिए कि वे संबंधित पत्रों पर हस्ताक्षर करते समय निर्धारित जाँच बिंदुओं को ध्यान में रखें ।

मद सं. 7	राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाए । अध्यक्ष महोदया को नियम 5 की स्थिति के विषय में अवगत कराया गया कि कार्यालय में अनिवार्य रूप से इसकी अनुपालना की जा रही है । गत तिमाही में 571 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए और अपेक्षित 254 पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया गया ।

मद सं. 7	चिकित्सा विभागों आदि में हिन्दी प्रयोग की स्थिति

चिकित्सा विभागों में राजभाषा संबंधी कार्यों के लिए नामित श्रीमती एकता, सहायक नर्सिंग अधीक्षक एवं श्री राजकुमार धायल, सहायक नर्सिंग अधीक्षक द्वारा चिकित्सा विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं । चिकित्सा अधीक्षक महोदया ने निर्देश दिए कि सभी वार्डों में रजिस्टर, रोगी फाइल एवं सूचना पट्ट आदि अनिवार्य रूप से हिंदी/द्विभाषी रूप में होने चाहिए ।

मद सं. 8	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदया के अनुमति से निम्नलिखित बिंदुओं पर भी चर्चा की गई:-

1. अध्यक्ष महोदया ने हिंदी कार्यशाला पर चर्चा करते हुए कहा कि अस्पताल में प्रशासनिक कार्मिकों की संख्या बहुत कम है जिसकी वजह से कार्यशाला का आयोजन करने में कठिनाइयाँ सामने आती है । अत: निर्णय लिया गया कि उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.नि., गुरुग्राम को पत्राचार कर आग्रह किया जाए कि उनके द्वारा जब भी हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए तो इस अस्पताल से कम से कम दो कर्मचारियों को नामित करें । इसकी सूचना मुख्यालय को भी दी जाए ।
2. प्रत्येक तिमाही में अस्पताल की शाखा/वार्ड का राजभाषायी निरीक्षण करना ।
3. हिंदी पत्रिका आरोहण के छठे अंक के प्रकाशन के लिए कार्रवाई करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों से लेख आदि प्राप्त करने के लिए परिपत्र जारी करना ।
4. मासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को देरी से भेजे जाने पर अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिए कि सभी शाखाओं द्वारा समय पर मासिक रिपोर्ट संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय अधीक्षक द्वारा सभी शाखाओं में कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए ।
5. मूल हिंदी पत्राचार में वृद्धि करना ।
6. धारा 3(3) के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाए ।
7. दवा भंडार कार्मिकों द्वारा अधिक से अधिक टिप्पण हिंदी में की जाए ।

अध्यक्ष महोदया ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस बैठक में राजभाषा प्रगति, राजभाषा कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई है तथा हमें संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार ही गंभीरता से कार्य करना है ताकि हम शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें । साथ ही चिकित्सा अधीक्षक महोदया ने बताया कि गत माह में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उन्होंने भाग लिया तथा नराकास अध्यक्ष ने अस्पताल को हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने के निर्देश दिए । अत: हम सभी को मूल हिंदी पत्राचार के लक्ष्य प्राप्ति हेतु यथासंभव प्रयास करने हैं ।

अंत में सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदया एवं उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया ।

सदस्य सचिव